न्यायालय कलेक्टर सीहोर जिला सीहोर(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक :– 0005/अ–20(2)/2022–23

म.प्र.शासन,

वन विभाग ————————————————————————————आवेदक

विरूद्ध

सर्वसाधारण,————————————————————————————अनावेदक

//आदेश//

(पारित दिनांक 24/06/2022)

(अंतर्गत म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग बुदनी के पत्र क्रमांक 537/टी0एस0/2021–22 बुदनी दिनांक 15/03/2022 के माध्यम से मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 अन्तर्गत ग्राम– नयागावं से सनकोटा मार्ग में प्रभावित 4.20हे0 तथा ग्राम सनकोटा से सिराली मार्ग में प्रभावित 4.60 हे0 एवं ग्राम खैरी से डोंगलापानी मार्ग में प्रभावित 4.50 हे0 कुल रकबा 13.300 हे0 भूमि वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु पांचौर तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर की आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 16.167 हे. में से 13.300 हे0 शासकीय भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरण करने हेतु प्रारूप –एक मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज से अध्याय–2 निर्देश–13 अंतर्गत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 में विहित प्रक्रिया अनुसार जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

3 नायब तहसीलदार /अनुविभागीय अधिकारी, नसरूल्लागंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया जाकर सर्व साधारण को सूचनार्थ, आपत्ति आमंत्रण हेतु इश्तहार प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन उपरांत नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। प्रकरण में स्थानीय निकाय तथा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से अभिमत चाहा गया। नियत समयावधि में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कोई आपत्ति

नही होना प्रतिवेदित किया गया। जॉच प्रकिया उपरांत नायब तहसीलदार /अनुविभागीय अधिकारी, नसरूल्लागंज द्वारा निम्नानुसार शासकीय भूमि ग्राम– पांचौर तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर की आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 16.167 हे. में से 13.300 हे0 (नाईयत बडा जंगल) शासकीय भूमि ग्राम– नयागावं से सनकोटा मार्ग में प्रभावित 4.20हे0 तथा ग्राम सनकोटा से सिराली मार्ग में प्रभावित 4.60 हे0 एवं ग्राम खैरी से डोंगलापानी मार्ग में प्रभावित 4.50 हे0 कुल रकबा 13.300 हे0 भूमि वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण प्रेषित किया गया है।

क	ग्राम का नाम	खसरा कमांक	नोईयत	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	मॉग किया गया रकबा (हेक्टेयर में)
1	पांचोर	07	शासकीय बडा जंगल	16.167	13.300
	कुल किता–1			16.167	13.300

4. अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन सहित प्रकरण मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 अध्याय–2 नियम–14 अंतर्गत जिला नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति हेतु रखा गया। उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत समिति द्वारा कुल किता–1 खसरा कमांक 07 रकवा 16.167 हे0 मे से 13.300 हे0 शासकीय भूमि हस्तांतरण हेतु सर्व सहमति से स्वीकृति प्रदान की गई।

5. प्रकरण मे संलग्न अभिलेखो, तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज के प्रस्ताव, जिला नजूल निर्वर्तन समिति से स्वीकृति/अनुमोदन उपरांत म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 की कंडिका–14 एवं 16 के तहत निम्नानुसार शासकीय भूमि ग्राम– नयागावं से सनकोटा मार्ग निर्माण में प्रभावित 4.20हे0 तथा ग्राम सनकोटा से सिराली मार्ग निर्माण में प्रभावित 4.60 हे0 एवं ग्राम खैरी से डोंगलापानी मार्ग निर्माण में प्रभावित 4.50 हे0 कुल प्रभावित रकबा 13.300 हे0 वन भूमि के बदले वन विभाग को हस्तान्तरण किया जाता है।

क	ग्राम का नाम	खसरा कमांक	नोईयत	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	हस्तान्तरित रकबा (हेक्टेयर में)
1	पांचोर	07	शासकीय बडा जंगल	16.167	13.300
	कुल किता–1			16.167	13.300

शर्तें :-

1. आवंटित भूमि का उपयोग वन विभाग के वृक्षारोपण हेतु ही किया जावेगा।
2. आवंटित भूमि का स्वीकृत उपयोग परिवर्तन की स्थिति में पुनः सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

न्यायालय कलेक्टर सीहोर जिला सीहोर (म.प्र.)

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
कलेक्टर सीहोर
कलेक्टर
जिला सीहोर

पृ0कमांक/2381/नजूल/22 सीहोर,दिनांक 24/06/2022

प्रतिलिपिः-

1. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग बुदनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी(रा)/तहसीलदार, नसरूल्लागंज जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। हस्तांतरण आदेश का राजस्व अभिलेखो में अमल कराना सुनिश्चित करें। पालन उपरांत अपडेटेड खसरा नकल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. वन मण्डलाधिकारी जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर
कलेक्टर सीहोर
जिला सीहोर